रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-154/2025/1258/22-2-2024-17(443)/2021

लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2024 (स्वतन्त्रता दिवस) के अवसर पर जिला कारागार, सन्तकबीरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सैमुल उर्फ सैमुल्ला (बन्दी संख्या-16/2023) पुत्र श्री सुबराती, निवासी- ग्राम-रामपुर रकवा, थाना-चौरी चौरा, जनपद-गोरखपुर जिसे सत्र परीक्षण संख्या- 195/2007, 41/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, **307**/148, **302**/149 व 5 वि0प0अधि0, **7** क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट गोरखपुर के आदेश दिनांक 02-11-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2024 तक 17 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी सजा कारावास की अवधि में बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-**154**/2025/**1258(1)**/22-2-2024-17(**443**)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सन्तकबीरनगर।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) सं0-04/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्रान्ट आफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-09-2024 के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in